



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

राजस्थान आई०एल०डी० कौशल
.....विश्वविद्यालय,
.....University,
राज भवन, जयपुर - 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.51(1)आरबी / 2017 / 8426

दिनांक : 08 नवम्बर, 2019

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक एफ.51(3)आरबी / 2017 / 5498 दिनांक 11 जुलाई, 2017 के माध्यम से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा राजस्थान आई०एल०डी० कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 की धारा 40 अन्तर्गत श्री ललित पंवार को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष अथवा प्रबंध बोर्ड का गठन होने तक, जो भी पहले हो, के लिए कुलपति नियुक्त किया गया था।

श्री ललित पंवार का निजी कारणों से दिनांक 08 नवम्बर, 2019 से 29 नवम्बर, 2019 तक उपार्जित अवकाश पर होने के कारण कुलपति पद पर अस्थाई रिक्ति हो गई है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति, राजस्थान आई०एल०डी० कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2017 की धारा 21(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ० जीत सिंह संधू, कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को श्री ललित पंवार के अवकाश से लौटने अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजस्थान आई०एल०डी० कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

ह० / -

(कलराज मिश्र)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.51(1)आरबी / 2017 / 8427

दिनांक : 08 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्री ललित पंवार, कुलपति, राजस्थान आई0एल0डी0 कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. डॉ0 जीत सिंह संधू, कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
7. कुलसचिव, राजस्थान आई0एल0डी0 कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।



(सुबीर कुमार)

सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान